मु0न0 — फूलवती बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- संजीव कुमार वर्मा (आरएएस)

मुकदमा नम्बर 27 / 2023 | तारीख दायर 26 / 07 / 2023 | तारीख फैसला 28/11/2024

उनवान

01. फूलवती पत्नी श्री हरिसिंह
02. मुकेश पत्नी श्री रामकुंवार
03. मुनेश पत्नी श्री बाबूलाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर

——— :: प्रार्थीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज.)

——— :: अप्रार्थी

02. असगर पुत्र श्री रहमान
03. असरफ पुत्र श्री रहमान जाति मेवान
04. कुन्ती पत्नी श्री रघवीर
05. धोली पत्नी श्री शिवराम जाति गुर्जर
06. नसरत पुत्र श्री रहमान जाति मेव
07. मन्जू पत्नी श्री हंसराज जाति गुर्जर
08. ममता पत्नी श्री फूलसिंह जाति गुर्जर
09. मोज खां पुत्र श्री रहमान
10. इब्राहिम
11. याकूब
12. हनीफ
13. शरीफ
14. हाकम पुत्रान् स्व0 श्री रहमान जाति मेवान
15. रामजीलाल पुत्र श्री कालीराम
16. रामवती पत्नी श्री चरणसिंह जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर।

——— तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

—:: निर्णय ::—

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 1640 / 2876 रकबा 10.130 हैक्टेयर वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। जिसका जमाबन्दी व मौका रिपोर्ट संलग्न प्रार्थना पत्र है। वर्णित आराजी हम प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। हम प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। हम प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज0)

व तरतीबी अप्रार्थीगण अपनी अपनी सहमति से अपने हिस्से अनुसार काबिज व दाखिल है तथा पर वास्तविक कब्जा है। हम प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की उक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी आराजी के साथ लगती हुई अन्य आराजी के काश्तकारान की है। जो जानबूझकर हम प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी मे मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर विधि विरूद्व तरीके से हम प्रार्थीगण की आराजी मे जबरन घुसकर निर्माण कर अपनी आराजी मे मिलाने पर आमादा रहे है। जिस पर हम प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार को आराजी की पैमाईश कराने हेतु पेश किया। जिस पर श्रीमान् तहसीलदार ने हल्का पटवारी व कानूनगो को आदेशित किया। दिनांक 10.07.2023 को हल्का पटवारी व कानूनगो तथा तहसीलदार साहब, तिजारा के आदेश क्रमांक/भू0अ0/23/3060 दिनांक 06.07.2023 की अनुपालना मे हाल आराजी खसरा नंबर 1640/2876 रकबा 10.130है0 वाके ग्राम जैरोली पर उपस्थित होकर मौके पर आराजी की पैमाईश की। मौके पर प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान उपस्थित आये। मौके पर उपरोक्त खसरा नंबर की पैमाईश हेतु खसरा नंबर 1673 व 1672 व 1682 के मध्य बने वाले तिमेडे की मैट्रिक जरीब चलाकर जॉच की गई, जो कि मौके पर सही पाया गया। उक्त तिमेडै से खसरा नंबर 1673 व 1672 की मध्य डोले से 20जरीब 4गटठे चलते हुए खसरा नंबर 1640/2876 का दक्षिण–पश्चिम कोना कायम किया गया तथा पुन इस बिन्दु से खसरा नंबर 1640/2876 की पश्चिम डोल पर 11जरीब 2गटठा उत्तर की तरफ चलते हुए खसरा नंबर 1640/2876 का उत्तर–पश्चिम कोना कायम किया गया। इस प्रकार खसरा नंबर 1640/2876 की विभिन्न डोल पर जरीब चलाक़र खसरा नंबर 1640/2876 का सम्पूर्ण सीमाज्ञान किया गया। मौके पर निशानात लगाये गये। निशानात से उपस्थित को अवगत कराया गया। मौके पर मौकापर्चा बनाया गया, पढकर सुनाया गया व उपस्थित लोगो से हस्ताक्षर/अगूठा निशानात लगाये। जो मौका रिपोर्ट(सीमाज्ञान) दिनाक 10.07.2023 संलग्न प्रार्थना पत्र है। वर्णित आराजी मे तरतीबी अप्रार्थीगण का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है, जो अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल है लेकिन वे अदालत श्रीमान के समक्ष उपस्थित होने मे असमर्थ है। इस़लिए उन्हे तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 16 की जद मे पक्षकार मुकदमा बनाया गयाहै। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 10.07.2023 के अनुसार हाल आराजी खसरा नंबर 1640/2876 रकबा 10.130है0 वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा की नियमानुसार की पत्थरगढी कराई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, तिजारा ने अपना जवाब पत्रांक/राजस्व/2024/1507 दिनांक 15.10.2024 द्वारा पेश किया, जवाब तहसीलदार निम्नानुसार है कि प्रकरण मे पटवारी हल्का जैरोली से रिकोर्ड व मौके की रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम जैरोली आराजी खसरानंबर 1640/2876 रकबा 10.13है0 किस्म बारानी सोयम हाल जमाबन्दी मे असगर पुत्र रहमान वगै मुताबिक संलग्न जमाबन्दी खाता सं. 597

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज0)

के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरे पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का शामलात कब्जा काश्त है और काश्त करते आ रहे है। सीमाज्ञान के समय मौके पर आसपास के लोगो द्वारा विवाद की स्थिति थी। अतः मौके पर पुलिस बल की आवश्कता है सीमाज्ञान दिनांक 30.07.2023 को जी जा चुकी है जिसका मौका पर्चा संलग्न ह। संलग्न जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण हिस्से अनुसार काबिज व दाखिल है। यह है कि जिम्मन सं. 5, 6 न्यायालय सम्बन्धित है। उपरोक्तानुसार उक्त खसरे पर किसी न्यायालय का स्थगन नही है प्रार्थीगण मौका पर्चा अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है।रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उपस्थित अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र के सवंधं मे सुना जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 "स्वीकार" किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट अनुसार आंराजी खसरा नंबर 1640/2876 रकबा 10.130है0 वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, तिजारा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एंव मोहर युक्त जारी किया गया।

26/11/2024

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2024 / 2362 दिनांक :– 28/11/24

अहकाम
तहसीलदार, तिजारा
जिला खैरथल–तिजारा

विषय :– निर्णय की पालना करने बाबत।

<u>ब0उ0 – फूलवती बनाम सरकार</u>

किस्म मु0 :– प्रा0पत्र 128 भू–राजस्व अधि0,1956 निर्णय दिनांक –26.11.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 27 / 2023 ब0उ0 फूलवती बनाम सरकार निर्णय दिनांक 26.11.2024 मे पारित निर्णय की पालना में निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि यदि किंसी दीगर न्यायालय का स्थगन नही हो तो निर्णयानुसार पालना करना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)